चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 3/2019

1– सरोजकंवर पत्नी सुमेरसिंह
2– शिवसिंह } –
3– विनोदकंवर
पिसरान सुमेरसिंह

4– अर्जुनसिंह } –
5– सीताकंवर
पिसरान भोमसिंह जाति राजपूत निवासीगण अगनेउ तहसील कोलयत जिला बीकानेर

6– सोहनसिंह
पुत्र जोगसिंह
–– अपीलांटस

बनाम

1– सादुलसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी अगनेउ तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2– राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

– रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रविराजसिंह भाटी – अभिभाषक अपीलांटस
2. श्री रामचंद्र सिंह भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1
3. पैरोकारराज – राज्य की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 25 9-2019

यह अपील अपीलांट सरोज कंवर आदि की ओर से अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1656 के अधीन विरुद्ध आज्ञा उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत दिनांक 19.6.217 के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी हैं।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चक 838–600 आरडी उपनिवेशन तसहील गजनेर मु0 कोलायत के ख.न. 153/47, 153/39, 153/32, 153/40 व 153/48 कुल रकबा 34 बीघा अपीलांटस व रेसपोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रही हैं। इस भूमि मे 8.10 बीघा मे सह खातेदार बलदेवसिंह पुत्र दिलिपसिंह जाति राजपूत गेहता निवासी अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर ने एक दावा बाबत खाता विभाजन सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के यहां प्रस्तुत किया और न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के यहां प्रस्तुत किया और न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर ने वाद विचारण वादी का दावा स्वीकार कर खाता विभाजन बाबत डिग्री कर दिया । इसे डिग्री की पालना मे उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर के इंतकाल सं 117 खातेदार के नाम अलग खाता कायम करने हेतु दिनांक 19.6.2017 को तस्दीक कर दिया। इसी आदेश से नाराज होकर अपीलांटस ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आक्षेपित इंतकाल सं0 117 मे सुमेरसिंह रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 113 हिस्सा उसके नाम दर्ज किया जाना गलत व मिसल रिकार्ड व दावा के खिलाफ कार्यवाही हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर रेसपोडेन्ट सं0 1 सुमेरसिंह 113 हिस्सा इंतकाल सं0 117 मे हटाया जाने का आदेश दिया जावें। अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

4– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटस को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। अतः अपीलाधीन आदेश की पूर्व मे जानकारी अपीलांटस को नही हो सकी। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद कानून व उसके समर्थन मे दिये गये शपथ पत्र मे लिखे देरी के कारणो पर विश्वास करते हुवे इसे स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर मियाद मे शुमार की जाती हैं।

5– जहां तक अपील के गुणावगुण पर निर्णय करने का प्रश्न हैं हमारी राय मे अधीन अपीलार्थी इस आधार पर स्वीकार योग्य है। साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 मे आयी 8–10 बीघा जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बलदेवसिंह के नाम कर दी तो उसका कोई हिस्सा ख.न. 219 में से शेष नही रह जाता हैं। ऐसी सूरत मे इंतकाल सं0. 117 मे रेस्पोडेटन्ट सं0 1 सुमेरसिंह का नाम पुनः दर्ज करना न्यायोचित नही हैं। उसका नाम इंतकाल आक्षेपित से हटाया जाना विधि सम्मत हैं। इसके क्रम मे अपील स्वीकार करने के रेस्पोडेन्ट सं0 1 को भी कोई ऐतराज नही हैं।

6– परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल सं0 117 मे सुमेरसिंह रेस्पोडेन्ट सं0 1 का नाम 113 हिस्सा की हद तक निरस्त किया जाता हैं तदनुसार अपील निस्तारित जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 25/9 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर